अध्याय 9

लघु व्यवसाय

अधिगम उद्देश्य

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप:

- लघु व्यवसाय के अर्थ तथा उसकी प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे;
- भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका की व्याख्या कीजिए;
- लघु व्यवसाय की समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे;
- सरकार द्वारा लघु व्यवसाय को दी गई विभिन्न प्रकार की सहायता का वर्गीकरण कर सकेंगे, विशेषत: ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों में।

© NCERT not to be republished

अमर, अकबर और एंथनी तीन अच्छे मित्र हैं जिन्होंने स्कूली शिक्षा के उपरांत उद्यम में एक व्यावसायिक कोर्स पूरा किया है। नौकरी पाना मुश्किल देखकर वे एक लघु व्यवसाय स्थापित करने की सोच रहे थे। जहाँ वे उन सभी कौशलों का प्रयोग कर सकेंगे, जो उन्होंने उस कोर्स/पाठ्यक्रम में सीखे थे। यद्यपि उन्हें व्यवसाय का बहुत कम ज्ञान था, वे इस सोच में थे कि क्या व्यवसाय प्रारंभ किया जाए, कहाँ स्थापित किया जाए, किस प्रकार का माल व मशीनरी खरीदें, जो व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं, कैसे पूँजी जुटाई जाए तथा कैसे विपणन किया जाए। तभी उन्होंने, रंगा रेड्डी जिला, जो आंध्र प्रदेश के बालानगर औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित है, द्वारा दी गई विज्ञप्ति पढ़ी, जो सरकार द्वारा आयोजित कार्यशाला के विषय में थी जिसका उद्देश्य लघु व्यवसाय में युवा उद्यमों को सहायता प्रदान करना था। इस सूचना से उत्साहित होकर तीनों मित्रों ने कार्यशाला में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्हें ग्रामीण रोजगार वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा शिक्षित युवकों को दी जाने वाली वित्त एवं अन्य सहायता के बारे में बताया गया। उन्होंने पाया कि खिलौनों की माँग थी, अत: उन्होंने खिलौनों का निर्माण करने का निर्णय करने का निर्णय लिया, जिसके लिए अपने ही गाँव में उन्होंने खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग से वित्तीय सहायता लेकर लघु व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। आज, वे एक सफल खिलौना निर्माता हैं तथा भविष्य में उनकी निर्यात करने की भी योजना है।

9.1 परिचय

पूर्व अध्याय में व्यवसाय की अवधारणा, व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग पर विचार-विमर्श किया गया था। वर्तमान अध्याय में व्यवसाय के आकार, लघु उद्योग तथा लघु व्यावसायिक इकाइयों के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। यह लघु व्यवसाय की भूमिका तथा लघु क्षेत्रक इकाइयों की समस्याओं का भी उल्लेख करती हैं। तत्पश्चात् सरकार द्वारा लघु व्यवसाय को दी गई सहायता, विशेषत: ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में, पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

9.2 लघु व्यवसाय का अर्थ तथा प्रकृति

भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक उद्योग दोनों ही ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के आठ उपसमूह हैं। ये हैं– हथकरघा, हस्तशिल्प, कोचॅर, सेरिकल्चर, खादी तथा ग्रामीण उद्योग, लघु-स्तरीय उद्योग तथा पॉवरलूम। अंतिम दो, आधुनिक लघु उद्योग के अंतर्गत आती हैं जबकि अन्य सभी पारंपरिक उद्योगों के अंतर्गत आती हैं। भारत में ग्रामीण तथा लघु उद्योग मिलकर सबसे अधिक रोज़गार अवसर उपलब्ध कराते हैं।

इसके पहले कि हम लघु व्यवसाय का अर्थ एवं प्रकृति को समझें, यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि हमारे देश में 'आकार' को कैसे परिभाषित किया जाता है, लघु उद्योग तथा लघु व्यावसायिक इकाइयों के संदर्भ में। व्यावसायिक इकाइयों को मापने के लिए विभिन्न मापदंडों का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें व्यवसाय में लगे हुए लोगों की संख्या, व्यवसाय में पूँजी निवेश, उत्पादन की मात्रा/मूल्य, व्यावसायिक क्रियाओं

© NCERT not to be republished

में बिजली का उपभोग इत्यादि सम्मिलित हैं। यद्यपि ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसकी कोई कमियाँ न हों। आवश्यकता के आधार पर मापदंड भिन्न हो सकते हैं। लघु उद्योग का वर्णन करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयोग की परिभाषा प्लांट तथा मशीनरी के विनियोग पर आधारित है। ये मापदंड भारत के सामाजिक-आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखकर प्रयोग में लाए जाते हैं, जहाँ पूँजी का अभाव है तथा श्रम की अधिकता है। बड़े सेवा क्षेत्र के उद्भव से सरकार ने यह आवश्यकता महसूस की, कि लघु पैमाने को उद्योग क्षेत्र तथा संबंधित सेवा इकाइयों को एक ही वर्ग में लाया जाए। लघु पैमाने के उद्यम विस्तारित होकर मध्यम पैमाने के उद्यमों में परिवर्तित हो गये तथा दुनिया के तीव्र वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए उच्च स्तर की तकनीक अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः यह आवश्यक हो गया कि ऐसे उपक्रमों को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के नाम से पुकारा जाए तथा इन्हें एकल वैधाधिक ढाँचा उपलब्ध कराया जाए। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम 2006 ऐसे उद्यमों से संबंधित परिभाषा, साख, विपणन तथा तकनीकी उन्नयन आदि मुद्दों की व्याख्या करता है। मध्यम पैमाने के उद्यम तथा सेवा संबंधी उद्यम भी इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आ गए हैं। एम.एस. एम.ई.डी. अधिनियम 2006, अक्तूबर 2006 से प्रभावी हो गया है। तद्नुसार उद्यम दो मुख्य श्रेणियों में वगीकृत कर दिए गए हैं – विनिर्माणी उद्यम तथा सेवा उद्यम।

विनिर्माणी उद्यम

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में विशिष्टिकृत किए गए किसी भी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न उद्यमों के मामले में निम्नलिखित तीन प्रकार के उद्यम होते हैं –

1. सूक्ष्म उद्यम – जहाँ संयत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रूपये से अधिक का निवेश न हो।

लघु उद्योग

उद्यम की श्रेणी	*निर्माणी उद्यम निवेश सीमा (रुपये)	सेवा प्रदाता उद्यम निवेश सीमा (रुपये)
सूक्ष्म उद्यम	25 लाख तक	10 लाख तक
लघु उद्यम	25 लाख से 5 करोड़ के बीच	10 लाख से 2 करोड़ के बीच
मध्यम उद्यम	5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच	2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच

* प्लांट तथा मशीनरी में निवेश सीमा की गणना करते समय, प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान एवं विकास, औद्योगिक सुरक्षा उपकरणों तथा अन्य ऐसी मदों की लागत को शामिल नहीं किया जाएगा।

© NCERT not to be republished

2. लघु उद्यम – जहाँ संयत्र एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रूपये से अधिक हो, परंतु 5 करोड़ से अधिक न हो।
3. मध्यम उद्यम – जहाँ संयत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड़ रूपये से अधिक हो परंतु 10 करोड़ रूपये से अधिक न हो।

सेवा उद्यम

सेवा प्रदान करने वाले निम्न तीन प्रकार के उद्यम होते हैं –

1. सूक्ष्म उद्यम – जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से अधिक न हो।
2. लघु उद्यम – जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रूपये से अधिक हो परंतु यह 2 करोड़ रूपये से अधिक न हो।
3. मध्यम उद्यम – जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रूपये से अधिक हो परंतु यह 5 करोड़ रूपये से अधिक न हो।

(क) **ग्रामीण उद्योग**

ग्रामीण उद्योग की परिभाषा में, कोई भी वे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हों तथा बिना विद्युत के वस्तुओं का उत्पादन करते हों तथा सेवाएँ प्रदान करते हैं और जिनमें अचल पूँजी विनियोग प्रति व्यक्ति या प्रति कारीगर 50,000 से अधिक न हो, या कोई ऐसी राशि जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्देशित की जाती है।

(ख) **कुटीर उद्योग**

ये ग्रामीण उद्योग अथवा पारंपरिक उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको पूँजी विनियोग के मापदंड से नहीं परिभाषित किया जाता, जैसा कि अन्य लघु स्तरीय उद्योगों में किया जाता है, तथापि कुटीर उद्योगों की कुछ विशेषताएँ हैं, जो निम्न हैं–

- इनका संगठन व्यक्तियों द्वारा अपने निजी संसाधनों से किया जाता है;
- साधारणत: ये पारिवारिक श्रम तथा स्थानीय उपलब्ध प्रतिभाओं का प्रयोग करते हैं;
- सरल औजारों का प्रयोग;
- पूँजी विनियोग का छोटा आकार;
- सरल वस्तुओं का उत्पादन, साधारणत: अपने ही परिसर में; तथा
- वस्तुओं के उत्पादन में देशी तकनीकों का प्रयोग।

9.3 लघुस्तर, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के लिए प्रशासनिक ढाँचा

भारत सरकार ने लघुस्तरीय उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की संरचना, एक मुख्य मंत्रालय के रूप में की है, जो लघु स्तरीय उद्योगों की उन्नति एवं विकास के लिए नीतियों का निर्माण करती हैं तथा केंद्रीय सहयोगों का संयोजन करती है। बाद में, सितंबर 2001 में यह मंत्रालय दो भिन्न मंत्रालयों में बँट गया, जो हैं– लघु स्तरीय उद्योग मंत्रालय एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय।

लघु व्यावसायिक उद्योग मंत्रालय एस.एस.आई॰ लघु व्यावसायिक इकाइयों की उन्नति तथा विकास के लिए नीतियों का निर्माण करती

© NCERT not to be republished

है, कार्यक्रम तथा परियोजनाएँ बनाती है। लघु स्तरीय विकास संगठन एस.डी.ओ, जो विकास आयुक्त के कार्यालय के नाम से भी जानी जाती है और जो लघु स्तरीय उद्योग मंत्रालय से भी जुड़ी है जिसका उत्तरदायित्व सभी प्रतिपादित नीतियों एवं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा निरीक्षण करना है।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग के विकास, छोटी एवं सूक्ष्म इकाइयों के लिए, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, एक मुख्य शाखा है। यह प्रधानमंत्री की 'रोजगार योजना' को क्रियान्वित करती है। कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों से संबंधित विभिन्न नीतियाँ, कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ इत्यादि का निष्पादन, खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग हथकरघा बोर्ड, कोयॅर बोर्ड तथा सिल्क बोर्ड द्वारा किया जाता है।

लघु स्तरीय उद्योगों की उन्नति एवं विकास के लिए, राज्य सरकारें, अपने-अपने राज्यों में विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहक एवं विकासात्मक परियोजनाओं को निष्पादित करती हैं। इनका निष्पादन राज्य उद्योग निर्देशालय के द्वारा किया जाता है, जिनके अंतर्गत, जिला उद्योग केंद्र आते हैं और जो केंद्र तथा राज्य स्तरीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं।

9.4 भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में, लघु उद्योगों के योगदान की दृष्टि से, भारत में लघु स्तरीय उद्योग एक विशेष स्थान रखते हैं। निम्नलिखित बिंदु उनके योगदान के महत्त्व को दर्शाते हैं:–

(क) भारत में लघु उद्योग औद्योगिक इकाइयों के 95 प्रतिशत हैं। ये लगभग 40 प्रतिशत तक का सकल औद्योगिक उत्पाद मूल्य में तथा कुल निर्यात का 45 प्रतिशत (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निर्यात) योगदान देती हैं।

(ख) कृषि के बाद लघु व्यवसाय द्वितीय सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो मानव संसाधनों का प्रयोग कर रोजगार सृजन करता है। ये बड़े उद्योगों के निवेशित पूँजी की तुलना में बड़ी संख्या के रोज़गार के अवसर उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये अधिक श्रम प्रधान हैं तथा कम पूँजी प्रधान हैं। यह भारत जैसे देश में, जहाँ श्रम का आधिक्य है, एक वरदान है।

(ग) हमारे देश में लघु उद्योग विविध प्रकारों की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं जिनके अंतर्गत निम्न आते हैं– अधिकांश मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, तैयार वस्त्र, होज़री उत्पाद, लेखन सामग्री, साबुन तथा प्रक्षालक अपमार्जक, घरेलू बर्तन, चमड़ा, प्लास्टिक तथा रबड़ उत्पाद, संशोधित खाद्य पदार्थ तथा सब्जियाँ, लकड़ी तथा स्टील फर्नीचर, मेज़-कुर्सी, रंग-रोगन रक्षक, माचिस इत्यादि। आधुनिक वस्तुओं के उत्पादन के अंतर्गत आते हैं–विद्युत तथा विद्युत संबंधित उत्पाद जैसे– टेलिविजन, गणक/गणित्र, विविध चिकित्सा औज़ार, विद्युतीय शिक्षण सामग्री, जैसे– ओवरहैड, प्रोजेक्टर, वातानुकूलित संयंत्र, दवाईयाँ एवं औषधि, कृषि औज़ार तथा यंत्र एवं विभिन्न प्रकार के अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद। हथकरघा, हस्तशिल्प तथा पारंपरिक ग्रामीण उद्योग के अन्य उत्पाद निर्यात की दृष्टि से विशेष स्थान रखते हैं।

(तालिका देखें जिसमें सरकार द्वारा वर्गीकृत मुख्य उद्योग समूह जो लघु व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, का उल्लेख है।)

© NCERT not to be republished

लघुस्तरीय क्षेत्र में मुख्य उद्योग समूह

- खाद्य उत्पाद
- रसायन एवं रासायनिक उत्पाद
- मूल धातु उद्योग
- धातु उत्पाद
- विद्युत मशीनरी तथा पुर्जे
- रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद
- मशीनरी एवं कल पुर्जे विद्युत वस्तुओं को छोड़कर
- होज़री एवं वस्त्र-लकड़ी उत्पाद
- कागज उत्पाद तथा छपाई
- परिवहन/यातायात औज़ार एवं पुर्जे
- चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद
- फुटकर निर्माण उद्योग
- पेय, तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पाद
- मरम्मत सेवाएँ
- सूती वस्त्रोद्योग
- ऊनी, सिल्क, कृत्रिम तन्तु वस्त्रोद्योग
- जूट, सन तथा मेस्टा वस्त्रोद्योग
- अन्य सेवाएँ

(घ) लघु उद्योगों का योगदान, हमारे देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में, ध्यान देने योग्य है तथा सराहनीय है। लघु उद्योग सरल वस्तुओं के उत्पादन में स्थानीय संसाधनों व कर्मियों का तथा स्थानीय उपलब्ध सामग्री एवं सरल तकनीक का प्रयोग करती हैं, अतः देश में कहीं भी स्थापित की जा सकती हैं, क्योंकि इनकी कोई स्थापना सीमा नहीं है। इनका विस्तार बिना किसी स्थापना बाधा के संभव है तथा इसके औद्योगिकीकरण के लाभ सभी क्षेत्रों द्वारा उठाए जा सकते हैं। यही कारण है कि ये देश के संतुलित विकास में एक महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

(ङ) लघु उद्योग उद्यमशीलता के लिए विस्तृत क्षेत्र प्रदान करते हैं। अत्यक्त/निहित कौशल तथा लोगों की प्रतिभा को व्यवसाय का एक उचित माध्यम मिलता है तथा एक व्यावसायिक कल्पना को वास्तविक रूप मिलता है– कम पूँजी निवेश के साथ तथा बिना किसी खास औपचारिकता के लघु व्यवसाय प्रारंभ किए जा सकते हैं। अमर, अकबर तथा एंथनी, हमारी कहानी के पात्र भी यह प्रमाणित करते हैं। यदि व्यक्ति सफलता के लिए दृढ़संकल्प हो, तो वह लघु व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है।

(च) कम लागत पर उत्पादन का लाभ भी लघु उद्योगों को उपलब्ध है। स्थानीय संसाधनों की कीमत कम होती है। उपरिव्यय कम होने के कारण प्रतिष्ठान लागत तथा परिचालन लागत भी कम होती है। वास्तव में, लघु उद्योग कम लागत पर उत्पादन का लाभ उठाते हैं, यही उनकी प्रतिस्पर्धित शक्ति है।

(छ) बड़ी संगठनों की तुलना में छोटा आकार होने के कारण ये शीघ्र तथा समय पर, बिना अधिक लोगों से परामर्श किए, निर्णय लेने में समर्थ हैं। नए व्यवसाय के सुअवसर भी सही समय पर उठाए जा सकते हैं।

(ज) उपभोक्ता आधारित उत्पादों के लिए लघु उद्योग सबसे अधिक उपयुक्त हैं अर्थात वैयक्तिक उपभोक्ता की रुचि, पसंद एवं आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन को अभिकल्पित किया जा

© NCERT not to be republished

सकता है, उदाहरणस्वरूप दर्जी द्वारा बनाया गया कुर्ता या पैंट/पतलून। बाज़ार में ऐसे उपभोक्ता आधारित उत्पाद प्रचलन में हैं। यहाँ तक कि अपारंपरिक उत्पाद जैसे कंप्यूटर तथा अन्य उत्पाद भी। वे उपभोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि वे सरल तथा लचीले उत्पादन तकनीकों का प्रयोग करते हैं।

(झ) अंत में, परंतु कम महत्त्वपूर्ण नहीं, लघु उद्योग में निहित अनुकूलनशीलता, व्यक्तिगत स्पर्श के कारण ही ये कर्मियों तथा उपभोक्ताओं दोनों से ही अच्छे व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में समर्थ हैं। सरकार को लघु स्तरीय इकाइयों की व्यापारिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संगठन का छोटा आकार होने के कारण समय पर तथा शीघ्र निर्णय, बिना अधिक लोगों से परामर्श किए, जैसा कि बड़े संगठनों में होता है, लिए जा सकते हैं। नए व्यवसाय के सुअवसर भी सही समय पर उठाए जा सकते हैं जो बड़े व्यवसायों के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है।

9.5 ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका

विकासशील देशों में, ऐसा पाया गया है कि ग्रामीण परिवार एकमात्र कृषि में संलग्न हैं। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं कि इन ग्रामीण परिवारों में भी विभिन्न प्रकार के आय स्रोत हो सकते हैं। ग्रामीण परिवार भी विभिन्न स्तर पर अकृषि क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे– रोजगार वेतन, स्वरोजगार, जो खेती एवं श्रम आधारित पारंपरिक कृषि क्रियाकलापों के साथ-साथ की जा सकती हैं। बड़े विस्तृत रूप में इसका श्रेय, भारत सरकार को, कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग की स्थापना तथा उन्नति के लिए सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों को दिया जा सकता है। ग्रामीण तथा लघु स्तरीय उद्योगों का महत्त्व, हमेशा से ही भारत की औद्योगिक योजनाओं का एक अभिन्न अंग रहा है, विशेषतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात्।

ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए तथा शिल्पकारों के लिए। क्षेत्रीय तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने से, ये शहरी क्षेत्रों में प्रवसन को भी रोकने में सहायता करते हैं। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में अधिक कर्मियों का प्रयोग होता है जो गरीबी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करने में अत्यंत कारगर हैं। ये उद्योग और भी अन्य सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं जैसे आय विषमता में कमी लाकर, उद्योगों का सभी दूरस्थ विषम क्षेत्रों में विकास एवं अन्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करके इत्यादि।

वास्तविकता में भारत सरकार दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लघु स्तरीय उद्योग का विकास तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को एक शक्तिशाली मानती है जो इस प्रकार हैं– तीव्र

© NCERT not to be republished

औद्योगिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादक रोजगार क्षमताओं के सृजन के लिए। फिर भी बहुत सारी आकार संबंधित समस्याओं के कारण लघु उद्योगों की क्षमता पूरी तरह प्रयोग में नहीं हो पाती। अब हम ऐसी ही कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में परीक्षण करेंगे जो लघु व्यावसायिओं को चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहर में, उन्हें दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सामना करना पड़ता है।

9.6 लघु व्यवसाय की समस्याएँ

बहुत से कारकों/पक्ष के संदर्भ में, दीर्घ स्तरीय उद्योगों की तुलना में, लघु स्तरीय उद्योग, एक विशेष प्रतिकूल स्थिति में हैं, जिनमें मुख्य हैं– व्यापार का स्तर, वित्त उपलब्धता, आधुनिक तकनीक को प्रयोग कर पाने का सामर्थ्य, कच्चा माल प्राप्त करना इत्यादि। ये सभी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। इनमें से बहुत सी समस्याएँ व्यवसाय के लघु आकार के कारण हैं, जो उन्हें, लाभ उठाने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जो केवल बड़े स्तर की व्यावसायिक संगठनों को ही उपलब्ध हैं। तथापि ये सभी समस्याएँ हर श्रेणी के लघु व्यवसाय में समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए, लघु सहायक इकाइयों के संदर्भ में मुख्य समस्याएँ हैं– देरी से भुगतान, मूल इकाई द्वारा माँग की अनिश्चितता तथा उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन इत्यादि हैं।

पारंपरिक लघु स्तरीय इकाइयों की समस्याओं में, दूरस्थ स्थापना, कम विकसित आधारभूत सुविधाएँ, प्रतिबंधन प्रतिभाओं का अभाव, निम्न गुणवत्ता, पारंपरिक तकनीकी तथा अपर्याप्त वित्त की उपलब्धता।

निर्यात प्रधान लघु स्तरीय इकाइयों की समस्याओं में निम्न आते हैं– विदेशी बाजार की पर्याप्त जानकारी का अभाव, विपणन कुशलता का अभाव, विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव, गुणवत्ता मानक तथा परिवहन के पहले का वित्त इत्यादि। सामान्य रूप से लघु व्यवसायों को निम्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है–

(क) वित्त– लघु व्यवसाय उद्योग की यह एक सबसे गंभीर समस्या है जिसका इन्हें सामना करना पड़ता है– अपनी क्रियाओं के निष्पादन के लिए पर्याप्त वित्त की उपलब्धता का अभाव।

सामान्यतः लघु व्यवसाय एक छोटे पूँजी आधार से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। बहुत सारी लघु क्षेत्र की इकाइयाँ अपनी साख-सृजनशीलता के अभाव के कारण पूँजी बाजार से पूँजी उठाने में सक्षम नहीं हैं। वे स्थानीय वित्त संसाधनों पर निर्भर करती हैं और उन्हें बार-बार ऋणदाताओं के द्वारा शोषण का शिकार होना पड़ता है। देरी से भुगतान के कारण अथवा बचे हुए बिना बिक्री के माल में लगी पूँजी के कारण इन इकाइयों को बार-बार पर्याप्त कार्यशील पूंजी के अभाव को झेलना पड़ता है। पर्याप्त समानांतर प्रतिभूति अथवा जमानत तथा सीमांत पूँजी के अभाव में बैंक भी इन्हें ऋण नहीं देती, जो बहुत-सी इकाइयाँ इस स्थिति में नहीं हैं कि वे इन्हें दिखा सकें।

© NCERT not to be republished

(ख) कच्चा माल– कच्चा माल प्राप्त करना, लघु व्यवसाय की एक अन्य मुख्य समस्या है। जब इनकी आवश्यकता के अनुसार इन्हें कच्चा माल नहीं प्राप्त होता, तो इन्हें इनकी गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है, अर्थात् अच्छी किस्म के कच्चे माल के लिए इन्हें ऊँची कीमतें देनी पड़ती हैं। कम मात्रा में क्रय खरीद के कारण इनकी सौदा करने की शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। माल के भंडारण की सुविधाओं के अभाव में ये थोक में खरीदने का जोखिम उठाने में समर्थ नहीं हैं। अर्थव्यवस्था में धातुओं के समान्यत: अभाव में, रासायनिक तथा कच्चे माल के कर्षण के कारण, लघु स्तरीय उद्योग सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए इसका अर्थ यह भी निकलता है कि उत्पादन क्षमता व्यर्थ होती है जो अन्य इकाइयों के लिए भी हानि का कारण है।

(ग) प्रबंधन कौशल– लघु व्यवसाय सामान्यत: एक ही व्यक्ति द्वारा उन्नत तथा प्रतिचालित किए जाते हैं, जिसके पास आवश्यक नहीं है कि वह प्रबंधन कौशल होना एक व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक है। बहुत सारे लघु व्यावसायिक उद्यमों के पास प्रभावी तकनीकी ज्ञान होता है परंतु वे उत्पादन का विपणन करने में कम ही सफल होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार क्रियाओं के लिए वे अधिक समय भी नहीं निकाल पाते। साथ ही साथ, वे इस स्थिति में नहीं है कि एक पेशेवर प्रबंधक बन सकें।

(घ) श्रम– लघु व्यावसायिक फर्म अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देने में असमर्थ होती हैं जो कर्मचारियों की अधिक काम करने तथा ज्यादा उत्पादन करने की इच्छा को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रति कर्मचारी उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है तथा श्रमिक परिवर्तन सामान्यत: अधिक होती है। कम वेतन के कारण लघु व्यावसायिक संगठनों की मुख्य समस्या प्रतिभावान लोगों को आकर्षित न कर पाना है। अप्रशिक्षित कर्मचारी कम वेतन पर काम करते हैं परंतु उनको प्रशिक्षण देना भी समय लेने वाली प्रक्रिया है। बड़े सगंठनों की तुलना में श्रम-विभाजन भी संभव नहीं है जिसके परिणाम एकाग्रता तथा विशिष्टीकरण के अभाव के रूप में उभरते हैं।

(ङ) विपणन– विपणन एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्रिया है जो आय उत्पन्न करती है। वस्तुओं के प्रभावी विपणन के लिए उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संपूर्ण समझ अत्यंत आवश्यक है। लगभग सभी स्थितियों में विपणन लघु संगठनों का एक कमजोर क्षेत्र है। इसलिए इन संगठनों को अधिकतर मध्यस्थों पर निर्भर होना पड़ता है जो इन्हें कभी-कभी कम भुगतान तथा देर से भुगतान कर उनका शोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के अभाव में प्रत्यक्ष विपणन लघु व्यावसायिक फर्मों के लिए उपयुक्त नहीं है।

(च) गुणवत्ता– बहुत सारे लघु व्यावसायिक संगठन वांछित गुणवत्ता के मानकों का अनुसरण नहीं कर पाते। इसके स्थान पर उनका ध्यान लागत को कम कर, कीमतों को कम रखने पर होता है। उनके पास पर्याप्त

© NCERT not to be republished

संसाधन नहीं होते कि वे गुणवत्ता अनुसंधान में विनियोग कर सकें तथा उद्योग के मानकों का साधारण कर पाएँ, न ही उनके पास ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो प्रौद्योगिकी को उन्नत कर सकें। वास्तव में, विश्व-बाजार की प्रतिस्पर्धा में गुणवत्ता को बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है।

(छ) **क्षमता का उपयोग–** विपणन कौशल अथवा माँग के अभाव में बहुत सारी लघु व्यावसायिक फर्मों को अपनी पूरी क्षमता से भी कम में काम करना पड़ता है जिसके कारण परिचालन लागत बढ़ने लगती हैं। धीरे-धीरे यह इन इकाइयों के बीमार होने का कारण बन जाता है।

(ज) प्रौद्योगिकी (टेक्नालॉजी)– लघु उद्योगों के परिपेक्ष्य में अक्सर पुरानी तकनीक का प्रयोग एक गंभीर कमी माना जाता है जो परिमाणस्वरूप कम उत्पादकता तथा खर्चीले उत्पादन के रूप में परिलक्षित होते हैं।

(झ) बीमारी (सिकनेस)– लघु उद्योगों में बीमार इकाइयों का होना, नीति निर्धारकों तथा उद्यमों दोनों के लिए ही एक चिन्ता का कारण है। बीमारी के कारण आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही है। आंतरिक समस्याओं में हैं– कुशल तथा प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव, प्रबंधन, तथा विपणन कौशल। कुछ बाह्य समस्याओं के अंतर्गत, देरी से भुगतान, कार्यशील पूँजी की कमी, अपर्याप्त ऋण तथा उत्पादों की माँग का अभाव इत्यादि आते हैं।

(ञ) वैश्विक प्रतिस्पर्धा– समस्याओं के अतिरिक्त जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, लघु व्यवसाय बिना डर के नहीं हैं विशेषत: उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण (एल.पी.जी.) की नीतियाँ जिनका अनुसरण संसार के अधिकतर देश कर रहे हैं। यह स्मरणीय है कि भारत ने भी एल.पी.जी. का अनुसरण 1991 से करना प्रारंभ किया है। आइए देखें की विश्व प्रतिस्पर्धा की होड़ में ऐसे कौन-से क्षेत्र हैं जहाँ लघु व्यवसाय जोखिम/संकट का अनुभव करते हैं–

(अ) प्रतियोगिता केवल मध्यम तथा बड़े उद्योगों से ही नहीं परंतु मल्टीनेशनल कंपनियों से भी है जो आकार तथा व्यावसायिक परिमाण के परिपेक्ष्य में भीमकाय/विशाल हैं। व्यवसाय परिणाम के प्रारंभ में खुलते ही ये लघु स्तरीय इकाइयों के लिए एक कटु प्रतियोगिता के परिणाम में सामने आती है।

(ब) बड़े उद्योगों तथा मल्टीनेशनल की गुणवत्ता मानक प्रौद्योगिकी कौशल, वित्त की साख के सामर्थ्य, प्रबंध, तथा विपणन क्षमता इत्यादि का सामना करना इनके लिए कठिन है।

(स) गुणवत्ता प्रमानकों जैसे ISO 9000 जैसी कठोर माँगों के कारण इनकी विकसित देशों के बाजार तक पहुँच सीमित है।

9.7 लघु उद्योग तथा लघु व्यावसायिक सरकार द्वारा प्राप्त सहायता/सहयोग

रोजगार उत्पत्ति, देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा निर्यात को बढ़ावा देने में, लघु व्यवसाय

© NCERT not to be republished

के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की नीतियों का बल लघु व्यावसायिक क्षेत्रों की स्थापना, उन्नति तथा विकास पर रहा है, विशेषत: ग्रामीण उद्योग तथा पिछड़े इलाकों के कुटीर तथा ग्राम उद्योगों में केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही स्तर पर सरकारें सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इन विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा-ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराना, आधारभूत संरचना, वित्त, प्रौद्योगिक, प्रशिक्षण, कच्चा माल तथा विपणन के परिपेक्ष्य में अपना विशेष सहयोग दे कर। ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न नीतियाँ तथा सरकारी सहयोग की योजनाएँ, स्थानीय संसाधनों तथा स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल के प्रयोग तथा उपलब्ध स्थानीय श्रमशक्ति के प्रयोग पर बल देती हैं। इनका क्रियात्मक रूपांतर विभिन्न एजेंसियों, विभागों तथा निगमों इत्यादि द्वारा किया जाता है जो औद्योगिक विभाग के अंतर्गत आती हैं। इन सभी का मुख्य संबंध लघु तथा ग्रामीण उद्योगों की उन्नति से है। कुछ सहयोग के उपाय तथा कार्यक्रम जो लघु तथा ग्रामीण उद्योगों की उन्नति के लिए किए गए हैं उनकी चर्चा/विचार विमर्श नीचे दी गई है।

1. संस्थागत सहयोग

(क) कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड)

संपूर्ण ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तभी से इसने देश की ग्रामीण व्यावसायिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए बहु-विकल्पी, बहु-प्रयोजन योजनाओं को अपना रही है। कृषि के अतिरिक्त, ये साख तथा बिना साख के प्रस्तावों को प्रयोग में लाकर, लघु उद्योग, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग तथा ग्रामीण दस्तकारों को सहयोग देती हैं। ये ग्रामीण उद्यमकर्त्ताओं के लिए सलाह तथा परामर्श सेवाएँ देती हैं, प्रशिक्षण तथा विकास कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं।

2. ग्रामीण लघु व्यावसायिक विकास केंद्र (आर.एस.बी.डी.सी.)

ग्रामीण लघु व्यावसायिक विकास केंद्र द्वारा समर्थन प्राप्त विश्व संघ द्वारा स्थापित लघु तथा मध्यम प्रकार की उद्यमों के लिए अपने आप में एक पहली संस्था है। यह सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों द्वारा समूहों के हित के लिए कार्य करती हैं। इनका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य के लघु उद्यमों तथा छोटी इकाइयों को प्रबंधन तथा तकनीकी सहयोग देना है। स्थापना के प्रारंभ से ही आर.एस.बी.डी.सी. ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद के विभिन्न गाँवों में, ग्रामीण उद्यम, कौशल उन्नति के लिए कार्यशालाएँ, मोबाइल चिकित्सा केंद्र, प्रशिक्षक कार्यक्रम, जागरूकता तथा परामर्श शिविरों इत्यादि का आयोजन किया है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण बेरोजगार युवक तथा विभिन्न व्यापार में संलग्न महिलाओं का ध्यान रखता हैं। ये विभिन्न व्यवसाय हैं– संसाधन खाद्यान्न, मुलायम खिलौने बनाना बने-बनाए परिधान, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती निर्माण, दो पहिए की मरम्मत तथा सेवाएँ, वर्मा कंपोजिंग तथा अपारंपरिक निर्माण सामग्री इत्यादि।

© NCERT not to be republished

3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन. एस. आई. सी.)

देश में लघु व्यवसाय की उन्नति में सहयोग तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इनका बल इसके क्रियाकलापों के इन व्यापारिक पक्षों पर है:–

- देशी आपूर्ति तथा आसान हायर परचेज की शर्तों पर मशीनों की आयात
- देशी तथा आयातित कच्चे माल की प्राप्ति, आपूर्ति तथा वितरण
- लघु व्यावसायिक इकाइयों के उत्पादन का निर्यात तथा निर्यात साख का विकास
- परामर्श सेवाओं का निरीक्षण
- प्रौद्योगिकी व्यावसायिक उपमाचित्र (इन्क्यूबेटर) के समान सेवाएँ देना प्रौद्योगिकी सुधार के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का तथा प्रौद्योगिकी स्थानांतरण केंद्रों का विकास

एन.एस.आई.सी द्वारा लघु व्यवसाय के निष्पादन तथा साख श्रेणी (करैडिट रेटिंग) की नई योजना का क्रियान्वयन के दो उद्देश्य हैं–

(क) साख श्रेणी की आवश्यकता के बारे में लघु उद्योगों को जानकारी देना

(ख) अच्छे वित्त का रिकार्ड बनाए रखने के लिए लघु व्यावसायिक इकाइयों को प्रोत्साहित करना। यह ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जब भी वे अपनी कार्यशील पूँजी तथा निवेश की आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थाओं के सामने प्रस्ताव रखें तो उनकी साख श्रेणी उच्च हो।

विपणन सहायता योजना

विपणन, जो व्यवसाय के विकास के लिए सामरिक उपकरण है, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की संवृद्धि तथा अस्तित्व हेतु महत्त्वपूर्ण है।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (जो इस मंत्रालय के अधीन एक लोक सेवा उद्यम है) के माध्यम से विपणन सहायता योजना के अंतर्गत सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को विपणन सहायता उपलब्ध करा रहा है।

उद्देश्य : इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की विपणन क्षमता तथा प्रतियोगित्व (प्रतियोगिता की भावना) को बढ़ाना।
2. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सक्षमताएँ प्रदर्शित करना।
3. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को प्रचलित बाज़ार दृश्यलेख (सिनेरियो) तथा उनकी क्रियाओं पर इसके प्रभाव के बारे में अद्यतन करना।
4. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों को उनके उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन हेतु मैत्री–संघ बनाने की सुविधा देना।
5. बड़े संस्थागत क्रेताओं से अन्योन्यक्रिया हेतु सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को मंच उपलब्ध कराना।
6. सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार करना।
7. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमियों की विपणन कुशलता को बढ़ाना।

© NCERT not to be republished

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को विपणन सहायता –

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं के माध्यम से उनके उत्पादों का प्रतियोगित्व तथा विपणनीयता बढ़ाई जानी प्रस्तावित है,

1. **एन.एस.आई.सी. द्वारा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रदर्शनियाँ आयोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेना।**

उभरते तथा विकासशील बाज़ारों में नये व्यावसायिक अवसरों की खोज करने हेतु भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सहायता करने के उन्हें विस्तृत अनावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से एन.एस.आई.सी. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं।

इससे व्यापार प्रवर्तन, संयुक्त उपक्रम स्थापित करने, तकनीक अंतरित करने, विपणन व्यवस्थित करने तथा विदेशों में भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की छवि निर्माण में सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन के अतिरिक्त, एन.एस.आई.सी. भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के चयनित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेने में सहायता करता है। ऐसे आयोजनों में भाग लेने में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों को जान पाते हैं।

2. **घरेलु प्रदर्शनियाँ आयोजित करना तथा भारत में प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेना**

कुछ निश्चित थीम आधारित प्रदर्शनियाँ/तकनीकी मेले एन.एस.आई.सी. द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादों तथा सेवाओं पर केंद्रित होते हैं तथा इनमें रोजगार निर्माण हेतु उपयुक्त तकनीकी, विशिष्ट क्षेत्रों से उत्पाद अथवा गुच्छ (कलस्टर) (जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, मशीनें एवं उपकरण, चमड़ा इत्यादि) सम्मिलित होते हैं।

ऐसे आयोजनों में भाग लेने से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नये बाज़ार कब्जाने तथा वर्तमान बाज़ारों के विस्तार के माध्यम से उनके विपणन मार्गों को जोड़ने की अपेक्षा की जाती है।

3. **अन्य संगठनों/उद्योग संघों/एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के सहप्रायोजन हेतु सहायता**

ऐसी सहायता एन.एस.आई.सी. द्वारा आयोजन के सहप्रायोजन के रूप में प्रदान की जाती है। एन.एस.आई.सी. द्वारा एक आयोजन के सहप्रायोजन हेतु आवेदक संगठन/एजेंसी को केंद्र कसौटी/शर्तें अवश्य पूरी करनी होती हैं।

4. **क्रेता-विक्रेता भेंट**

बड़े तथा विभागीय क्रेताओं जैसे रेलवे, रक्षा, संचार विभाग तथा बड़ी कंपनियों को क्रेता-विक्रेता भेंट में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है ताकि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का विपणन प्रतियोगित्व बढ़ाने हेतु उन्हें इनके निकट लाया जा सके। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से जहाँ एक ओर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम बड़े क्रेताओं की आवश्यकताओं को जान पाते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़े क्रेता अपने क्रय के बारे में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सक्षमताओं को जान पाते हैं।

© NCERT not to be republished

5. **तीव्र अभिमान तथा विपणन प्रवर्तन आयोजन**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लाभ हेतु विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने हेतु उन्हें नवीनतम विकास, गुणवत्ता प्रमापों आदि के बारे में अपने ज्ञान को संवर्धित करने तथा उनके उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में उनकी विपणन संभाव्यता में सुधार करने में भी सहायता मिलती है।

6. **अन्य सहायक क्रियाएँ**

- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्रदर्शन केंद्रों, दृश्य पटल तथा प्रचार पटल इत्यादि का विकास।
- सूचना प्रसार हेतु साहित्य विवरणिका तथा उत्पाद विशिष्ट सूची-पत्र एवं सी.डी. आदि की छपाई/निर्माण एवं लघु चल-चित्रों का निर्माण।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन की सुविधा हेतु वैबसाइट/पोर्टल का विकास।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा आयोजनों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में विज्ञापन तथा प्रचार सामग्री का विकास एवं प्रसार।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम उत्पादकों/आपूर्ति-कर्ताओं/निर्यातकों की निदेशिका का निर्माण तथा अद्यतन।
- सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की सफलता की कथाओं का प्रपत्रीकरण।
- नये बाज़ारों/व्यवसायों तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों हेतु उत्पाद-श्रेणियों को खोजने तथा आंकने हेतु अध्ययन करना।
- अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडलों तथा नेटवर्किंग आयोजनों की मेज़बानी।

4. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.)**

- लघु व्यावसायिक संगठनों की साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसकी स्थापना एक शीर्ष बैंक के रूप में हुई जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वित्त सहायता प्रदान करती है।
- अन्य संस्थाओं के कार्यों का समन्वयन करना जो समरूपी क्रियाएँ कर रहे हैं।

इस प्रकार अब तक हमने विभिन्न संस्थाएँ जो लघु उद्योगों के सहयोग के लिए, केंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर कार्य कर रही हैं, के बारे में सीखा।

5. **असंगठित क्षेत्रों के उद्यम हेतु राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.ई.यू.एस.)**

एन.सी.ई.यू.एस. की स्थापना सितंबर 2004 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ हुई थी–

- अनौपचारिक क्षेत्र में उन उपायों का सुझाना जो लघु व्यवसाय की उत्पादकता को बढ़ाने में आवश्यक माने जाते हैं।
- दीर्घ आधार पर अधिक रोजगार सुअवसरों को उत्पन्न करना, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में
- उभरते वैश्विक वातावरण के संदर्भ में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।

इस क्षेत्र के अन्य संस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में संबंध स्थापित करना और साख, कच्चा माल, आधारभूत सरंचना, प्रौद्योगिकी उन्नति,

© NCERT not to be republished

विपणन तथा कौशल विकास के लिए उपयुक्त प्रबंधों को प्रतिपादित करना इत्यादि।

आयोग ने जिन विभिन्न विषयों की पहचान की पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, वे हैं–

- समूह के रूप में अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए विकास स्तंभ ताकि बाह्य आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सके।
- अनौपचारिक क्षेत्रों को कौशल प्रदान करने के लिए निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी की क्षमता।
- अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म-वित्त तथा संबंधित सेवाओं का प्रावधान।
- अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

6. ग्रामीण तथा महिला उद्यम विकास (आर.डब्ल्यू.ई.)

ग्रामीण तथा महिला उद्यम विकास कार्यक्रम का लक्ष्य अनूकूल व्यावसायिक वातावरण का विकास करना है, संस्थागत तथा मानवीय क्षमताओं का निर्माण करना है जो ग्रामीण लोगों तथा महिलाओं द्वारा उद्यम में पहल को प्रोत्साहन तथा सहयोग देती हैं। आर.डब्ल्यू.ई निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करती है

- ग्रामीण तथा महिला उद्यमी की पहल को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का सृजन
- मानवीय तथा संस्थागत क्षमता को बढ़ाना है जिनकी आवश्यकता उत्पादकता तथा उद्यम गतिवाद को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।
- महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण सामग्री / पुस्तिका देना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।
- कोई भी अन्य परामर्श सेवाएँ प्रदान करना।

7. लघु तथा मध्यम उद्यम हेतु विश्व संघ

भारत में सूक्ष्म लघु तथ्य मध्यम व्यवसाय आधारित केवल यही एक अंतर्राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों के दीर्घ विकास के लिए एक एक्शन प्लान मॉडल बनाना है।

इसके अतिरिक्त, अन्य कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत-सी योजनाएँ हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। उदाहरण के लिए वे योजनाएँ जो कम दर पर सहायता प्राप्त ऋण उद्यम के लिए हैं जैसे संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम आई.आर.डी.पी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पी.एम.आर.वाई, ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा योजनाएँ जिनका उद्देश्य लैगिंक तत्वों को मज़बूत करना है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र आधारित कार्यक्रम योजनाएँ हैं जो वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराती हैं जैसे जवाहर रोजगार योजना जे.आर.वाई, काम के बदले खाना इत्यादि, दो परस्पर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है जो हैं– ग्रामीण आधारभूत संरचना का सृजन तथा गरीब ग्रामीणवासियों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करना, विशेषता जब कृषि का निम्न मौसम हो। अंतिम, परंतु कम महत्त्वपूर्ण नहीं, विशेष खादी, हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग के लिए विभिन्न योजनाएँ हैं।

8. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोष योजना

केंद्रीय सरकार ने सन् 2005 में 100 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया है जिसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना

© NCERT not to be republished

है ताकि उनका दीर्घ विकास हो सके। इसके, क्रियान्वयन कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर होना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं

- देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उद्योग समूह या विकास करना;
- नवाचार तथा पारंपरिक कौशल का निर्माण, प्रौद्योगिकी में सुधार तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी को प्रोत्साहन देना, विपणन समझ का विकास करना इत्यादि जिससे उन्हें प्रतियोगी, लाभकारी तथा दीर्घ बनाया जा सके; तथा
- पारंपरिक उद्योगों में दीर्घ रोजगार सुअवसरों का सृजन करना।

9. जिला औद्योगिक केंद्र (डी.आई.सी.)

इस विचार से कि जिला स्तर पर एक संपूर्ण प्रशासनिक ढाँचा देने के लिए, जो जिले में संयुक्त रूप से औद्योगीकरण की समस्याओं को देख सके 1 मई 1978 में जिला औद्यौगिक केन्द्र कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। अन्य शब्दों में जिला औद्यौगिक केन्द्र जिला स्तर पर एक ऐसी संस्था है जो उन सभी उद्यमों को लघु तथा ग्रामीण उद्योगों की सभी स्थापना के लिए सेवाएँ तथा सहयोग सुविधाएँ प्रदान करती हैं। उपयुक्त योजनाओं की पहचान, संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करना, साख का प्रबंध करना, मशीनरी रिपोर्ट तथा औजार, कच्चे माल का प्रावधान तथा अन्य विस्तार सेवाएँ, ये कुछ मुख्य क्रियाकलाप हैं जिनका उत्तरदायित्व डी.आई.सी लेती है। विस्तृत रूप से, जिला औद्यौगिक केन्द्र, ग्रामीण उद्यमियों तथा वे सभी जो ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास से जुड़े हुए हैं। उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि एक संकीर्ण वर्णक्रम के अंतर्गत, उन उपेक्षित कारकों पर दृष्टि डालने का प्रयास किया है जैसे– ग्रामीण कारीगर, प्रशिक्षित शिल्पकार, तथा हथकरघा चालक तथा इन सभी के क्रियाकलापों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण विकास की सामान्य प्रक्रिया में जोड़ना। इस प्रकार डी.आई.सी जिले स्तर पर आर्थिक तथा औद्योगिक वृद्धि हेतु एक केन्द्र बिंदु रूप में उभर कर आ रही है।

(ख) प्रोत्साहन

पिछड़ी जनजातियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर विशेष बल हमेशा से ही भारत सरकार के लिए महत्त्व के विषय रहे हैं तथा ये सभी पंचवर्षीय योजनाओं तथा औद्योगिक नीति कथनों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हैं। यह समझते हुए कि पिछड़े इलाकों का विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, बहुत सारी समितियों का गठन किया गया है जो पिछड़े क्षेत्रों की पहचान कर सकें तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के अत्यंत कठिन विशाल कार्य को करने के लिए योजनाएँ भी सुझा सकें। पिछड़े क्षेत्रों के संपूर्ण विकास के लिए सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन द्वारा उठाया गया एक ऐसा ही प्रयास है। सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम का उद्देश्य चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व्यवसाय का विकास करना था। यद्यपि ये पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम एक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न थे तथापि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को आकर्षित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण संगठित प्रोत्साहन पैकेज़ के रूप में अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया।

© NCERT not to be republished

कुछ सामान्य प्रोत्साहन जिन पर विचार-विमर्श किया गया है वे इस प्रकार हैं–

भूमिः हर राज्य उद्योग स्थापित करने के लिए विकसित भू-खंडों को प्रस्तावित करता है।

विकसित भू-खंडों को प्रस्तावित करता है। शर्तें तथा अनुबंध अलग हो सकती हैं। कुछ राज्य किराए को प्रारंभिक वर्षों में खर्चे के रूप में मद में दिखाती हैं, कुछ इन्हें किस्तों में देने की अनुमति प्रदान करते हैं।

विद्युतः 50 प्रतिशत की रियायती दर विद्युत की आपूर्ति की जाती है, जबकि कुछ राज्य प्रारंभ के वर्षों में इन इकाइयों को छूट प्रदान करती है।

जलः 50 प्रतिशत की छूट के साथ बिना लाभ अथवा हानि के आधार पर जल की आपूर्ति की जाती है अथवा प्रारंभ के पाँच वर्षों तक जल-खर्चे की छूट/रियायत दी जाती है।

बिक्री करः सभी केंद्र-प्रशासित राज्यों में, औद्योगिक इकाइयाँ बिक्री-करों से मुक्त हैं जबकि कुछ राज्य इस छूट को पाँच वर्षों तक बढ़ा सकती है।

चुंगीः अधिकतर राज्यों ने चुंगी को समाप्त कर दिया है।

कच्चा मालः विरल (स्कैर्स) कच्चे माल जैसे सीमेंट, लोहा तथा स्टील आदि के आबंटन में, उन इकाइयों को, जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित हैं, उन्हें वरीयता दी जाती है।

वित्तः स्थायी संपत्तियों के निर्माण के लिए 10-15 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है। रियायती दरों पर ऋण भी प्रस्तावित किए जाते हैं।

औद्योगिक भू-संपत्ति : कुछ राज्य पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक भू-संपत्ति की स्थापना को भी प्रोत्साहन देते हैं।

कर-अवकाश : जो उद्योग पिछड़े, पहाड़ी तथा जनजातिय क्षेत्रों में स्थापित हैं उन्हें 5-10 वर्षों तक कर न देने की छूट दी जाती है।

सारांशतः ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में लघु व्यवसाय को सरकार की तरफ से सहयोग/समर्थन प्राप्त है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्वरूपों में तथा भिन्न कारणों से। पिछड़े इलाकों मे विशेष ध्यान देने के बावजूद भी, ऐसा पाया गया है कि विकास में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मात्रा में आर्थिक सहायता या छूट, इन सुविधाओं के अभाव के कारणों से उत्पन्न प्राकृतिक बाधाओं को दूर नहीं कर सकती।

9.8 भविष्य

वर्तमान काल विश्व व्यापार संघ (WTO) की शासन प्रणाली है, जहाँ व्यापार के नियम विश्व/सार्वभौम अपेक्षाओं के अनुसार बार-बार परिवर्तित होते रहते हैं। विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत की विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के ढाँचे/स्वरूप के प्रति वचनबद्ध है। परिणामस्वरूप लघु व्यवसाय

© NCERT not to be republished

भी पूर्व-उदारीकरण के सुरक्षित युग से दूर होते जा रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण रूप से जब विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ती जा रही है। यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि लघु व्यवसाय के लिए कि वे अपनी योग्यताओं का अन्वेषण करें, प्रवेश करें तथा नए बाजार विकसित करें। उन्हें अपने आपको निरंतर पुनः परिस्थितियों के अनुरूप ढालना है ताकि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना कर सकें। अपने ऊर्जावादी, लचीलेपन तथा नवाचार जैसे जोशपूर्ण उद्यम साथ-साथ, लघु व्यवसाय की तेजी से बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। सरकार को भी अपने लघु व्यवसाय क्षेत्र के सहयोग को पुनः अभिविन्यासित करने की आवश्यकता है, एक सरल सुसाध्य बनाने के रूप में तथा प्रवर्तक के रूप में न कि एक नियंत्रक के रूप में। नई योजनाएँ/युक्तियाँ बनाने की आवश्यकता है जिससे बड़े तथा छोटे उद्योगों की साझेदारी को बढ़ावा मिल सकें, समूह-उपागम को अपनाएँ, सृजनात्मक विपणन (Cluster Approach) का विकास हो सके, औद्योगिक कुशलताओं का उन्नतीकरण के द्वारा सुधार हो सके, तथा लघु व्यवसाय की मूल दक्षताओं का पहचान कर उन्हें निर्यात-प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके।

वास्तव में, लघु व्यवसाय को वैश्वीकरण को, एक विशिष्ट कल-पुरजों की आपूर्ति में सक्रिय भागीदारी द्वारा, एक सुअवसर के रूप में देखना चाहिए। यदि लघु व्यवसाय को अपना बाजार का अंश था? स्वस्थ विकास को बनाए रखना है, तो उन्हें अपने लिए इस क्षेत्र में स्वयं जगह बनानी होगी। उनकी दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी अच्छी तरह से प्रबंधन सीखते हैं, अपनाते हैं और अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता का सुधार करते हैं।

संक्षिप्त में लघु व्यवसाय की सफलता का मंत्र इस आधुनिक युग में होना चाहिए "स्थानीय स्तर पर काम करें, सोचें विश्व के स्तर पर"

मुख्य शब्दावली

लधु स्तर उद्योग	कुटीर उद्योग	महिला उद्यम
निर्यात प्रधान इकाइयाँ	ग्रामीण उद्योग	सूक्ष्म व्यवसायिक
सहायक उद्योग	खादी उद्योग	छोटी व्यावसयिक इकाईयाँ

सारांश

पूँजी विनियोग के आधार पर, लघु व्यावसायिक इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जा सकता है, जिनमें है लघु स्तरीय उद्योग, सहयोगी लघु औद्योगिक इकाइयाँ, निर्यात-प्रबंधित इकाइयाँ, महिलाओं द्वारा स्वामित्व तथा प्रबंधित लघु स्तरीय सेवाएँ तथा व्यावसायिक (उद्योग संबंधित) उद्यम, सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यम, ग्रामीण उद्योग तथा कुटीर उद्योग।

प्रशासनिक ढाँचा/स्वरूपः

लघु स्तरीय उद्योग के प्रशासनिक ढाँचे में दो मंत्रालय आते हैं जो हैं– लघु स्तरीय उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, लघु स्तरीय उद्योग मंत्रालय

© NCERT not to be republished

भारत में लघु स्तरीय उद्योग की उन्नति तथा विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करने तथा केंद्रीय सहायता के समन्वयन के लिए, एक प्रतिमान/बहुलक मंत्रालय है। समान रूप से, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण तथा खादी उद्योग के विकास तथा समन्वयन के लिए एक प्रतिमान मंत्रालय है।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों की अतिलघु तथा सूक्ष्म उद्योग के लिए राज्य सरकार भी विभिन्न उन्नतिशील विकासोन्मुख परियोजनाओं को निष्पादित करती है, ताकि उन राज्यों के लघु स्तरीय उद्योग की उन्नति तथा विकास के लिए सहयोग तथा समर्थन दे सकें।

भारत में लघु व्यवसाय की भूमिकाः

किसी देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में लघु स्तरीय उद्योग एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में लघु उद्योग, औद्योगिक इकाइयों का 95 प्रतिशत है। ये लगभग 40 प्रतिशत तक का सफल औद्योगिक उत्पाद मूल्य में तथा कुल निर्यात का 45 प्रतिशत योगदान देते हैं। लघु स्तरीय उद्योग, कृषि के बाद, द्वितीय सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो मानवीय संसाधनों का प्रयोग कर रोजगार सृजन करता है तथा अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। स्थानीय उपलब्ध सामग्री का प्रयोग तथा देशी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ये इकाइयाँ देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास में अपना योगदान देती हैं। ये उद्यम के क्षेत्र को अधिक विस्तृत करने में सहायक हैं, कम लागत पर उत्पादन का लाभ उठातीं हैं, शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम हैं तथा अपने आप को उपभोक्ता आधारित उत्पादन के अनुकूल शीघ्रता से ढालने के कारण उनके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है।

ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिकाः

(क) कृषि क्रियाओं में लघु व्यावसायिक इकाइयाँ आय के विभिन्न स्रोत प्रदान करती हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः पारंपरिक दस्तकारों तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराती हैं।

लघु उद्योग की समस्याएँ :

लघु उद्योग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनमें मुख्य हैं– (क) वित्त (ख) कच्चे माल का उपलब्ध न होना (ग) प्रबंधन कौशल (घ) कुशल कर्मिक (ङ) उनकी उत्पादित वस्तुओं का विपणन (च) गुणवत्ता मानकों का अनुपालन (छ) क्षमता का निम्न प्रयोग (ज) पारंपरिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग (झ) बीमारी ग्रस्त इकाइयाँ (ञ) विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना करना।

लघु उद्योग को उपलब्ध सरकारी सहायता/सहयोगः

लघु व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को देखते हुए जिनमें रोजगार सृजन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, निर्यात को बढ़ावा, आदि हैं। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को आधारभूत संरचना, वित्त, प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में

© NCERT not to be republished

अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं।

कुछ मुख्य संस्थाएँ जो सहयोग प्रदान कर रही हैं, वे हैं–कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केंद्र, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, संगठित क्षेत्रों की उद्यम इकाइयों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ग्रामीण तथा महिला उद्यम विकास, लघु तथा मध्यवर्ती इकाइयों के लिए विश्व संघ, पारंपरिक उद्योगों की पुर्नस्थापना/पुनर्निमाण हेतु कोष योजना तथा जिला उद्योग केंद्र

अभ्यास

लघु उत्तरीय प्रश्न

(क) कौन से विभिन्न परिमाप/आगम हैं जो व्यवसाय के आकार को मापने में प्रयोग किए जाते हैं?

(ख) भारत सरकार द्वारा लघु स्तरीय उद्योग के लिए किस परिभाषा का प्रयोग किया गया है?

(ग) कैसे आप सहायक इकाई तथा छोटी इकाई में अंतर्भेद करेंगे।

(घ) कुटीर उद्योगों की विशेषताएँ बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(क) भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास में लघु स्तरीय उद्योग योगदान देते हैं?

(ख) ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका का वर्णन कीजिए।

(ग) लघु स्तरीय उद्योग की समस्याएँ, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, पर विचार विमर्श कीजिए।

(घ) लघु स्तरीय उद्योग की वित्त तथा विपणन की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

(ङ) कौन से प्रोत्साहन हैं जो सरकार द्वारा पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए सरकार द्वारा दिए गए हैं।

परियोजना कार्य

(क) यह पता लगाने के लिए कि कौन सी ऐसी वास्तविक समस्याएँ हैं जिनका सामना लघु स्तरीय इकाई के स्वामी को करना पड़ता है, एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। इस पर एक 'परियोजना प्रतिवेदन' (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कीजिए।

(ख) वे पाँच लघु स्तरीय इकाइयों का सर्वेक्षण कीजिए जो आपके क्षेत्र में हों या आपकी जानकारी में हों तथा पता लगाइए कि उन्होंने किसी भी सरकार द्वारा स्थापित संस्थाओं से कोई सहायता/सहयोग प्राप्त किया है।

© NCERT not to be republished